

उत्तर पश्चिम रेलवे



प्रधान कार्यालय

जयपुर

आर.बी.ई.सं.

दिनांक

57/2012

14/5/2012

संख्या:- 755-E/01

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक- जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण- जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.-जयपुर
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.- जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.- जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड- अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान- उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र- जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.- जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय - महाप्रबंधक प्रका.- जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.- जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.- जयपुर.

RBE No. 57/2012

विषय :- Upper age limit for direct recruitment
Group D & C Posts on the Railways.

संदर्भ :- Rly No. L.No. E(NG)-11/94/RR-1/29

14/5/12

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि.
एवं सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन

14/5/12

सलंगन- यथोक्त।


(आर.के.शर्मा)

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

- | | | | |
|-----|-------------------------------|----|-----------|
| 7. | महासचिव- एनडब्ल्यूआरईयू | 15 | प्रतियाँ। |
| 8. | महासचिव- यूपीआरएमएस | 15 | प्रतियाँ। |
| 9. | महासचिव- एससी/एसटी एसो. | 15 | प्रतियाँ। |
| 10. | महासचिव- ओबीसी एसो. | 05 | प्रतियाँ। |
| 11. | महासचिव- पदोन्नत अधिकारी एसो. | 05 | प्रतियाँ। |

NWR



Handwritten notes and signatures: 'CPO', 'Sur', '2.2', '415', 'Chos/EP', and a signature dated '7/5/12'.

**Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)**

RBE No. 57/2012.

No. E (NG)-II/94/RR-1/29.

New Delhi, dated: 25.04.2012

The General Manager (P),
All Zonal Railways/Production Units, CORE/ALD, Metro Railway/Kolkata;
CAO/MTP/Chennai, Mumbai;
CAO (R), DMW/Patiala, COFMOW/New Delhi;
Chairmen/All Railway Recruitment Boards;
Director General, RDSO/Lucknow & RSC/Vadodra;
Director, IRISSET/Secundrabad, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik & IRIM&EE/Jamalpur;
DFCCIL/New Delhi and Managing Director/Konkan Railway Corporation Ltd.

Sub: Upper age limit for direct recruitment to Group 'C' & 'D' posts on the Railways.

Ref: Board's letter of even number dated 18.2.2011 (RBE No. 24/2011).

Attention is invited to this Ministry's letter under reference vide which the currency of the relaxation contained in letter of even number dated 10.5.1999 (RBE No. 99/1999) was extended for a period of one year i.e. up to 3.2.2012.

The matter has been reviewed and it has now been decided that this relaxation of 03 (three) years above the prescribed upper age limit for recruitment to all Group 'C' posts and posts in Pay Band-1 (Grade Pay: ₹1800) including engagement of Substitutes may be extended further for a period of **three years i.e. up to 03.02.2015**. These orders take effect from 4.2.2012. Indents placed after 3.2.2012 may be suitably amended.

Please acknowledge receipt.

Handwritten: # 25/4/12
(Harsha Dass)
Joint Director Estt. (N)-II
Railway Board.

Handwritten: 16/4/12

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

आर बी ई सं. 57/2012

सं. ई (एन.जी.) 11/94/आरआर.1/29

नई दिल्ली, दिनांक 25.04.2012

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाईयां
कोर/इलाहाबाद, म.प.प/कोलकाता, मुंबई, चेन्नै,
मु.प्र.अ.(आर), डीआका/पटियाला, कॉफमो/नई दिल्ली
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं./लखनऊ, रेलवे स्टाफ कॉलेज/वडोदरा
महानिदेशक, इरिसेट/सिकन्दराबाद, इरिसेन/पुणे
इरिएन/नासिक, इरिमि/जमालपुर एवं अध्यक्ष/रेल भर्ती बोर्ड
कोंकण रेल कार्पोरेशन/नवी मुंबई एवं डी एफ सी सी आई एल/नई दिल्ली ।

विषय: रेलों पर समूह ग और समूह घ पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा.

संदर्भ: बोर्ड का 18.02.2011 का समसंख्यक पत्र (आरबीई संख्या 24/2011)

इस मंत्रालय के संदर्भाधीन पत्र की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसके तहत 10.05.99 के समसंख्यक पत्र आर. बी. ई. संख्या 99/99 में अंतर्विष्ट छूट की अवधि को आगे एक और वर्ष अर्थात् 03.02.2012 तक बढ़ाया गया था।

इस मामले की पुनरीक्षा की गई है और अब यह विनिश्चय किया गया है कि एवजियों की नियुक्ति सहित सभी समूह ग एवं समूह घ पर भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 03 (तीन) वर्ष की इस छूट को आगे तीन वर्ष की अवधि अर्थात् 03.02.2015 तक बढ़ा दिया जाए। यह आदेश 4.02.2012 से प्रभावी होंगे। दिनांक 03.02.2012 के पश्चात् जारी किए गए माँग पत्रों को भी समुचित रूप से संशोधित कर लिया जाए।

कृपया पावती दें।

अक्ष 25/4/12
(हर्षा दास)

संयुक्त निदे. स्था. (अराज.) 11

रेलवे बोर्ड

...2/-